न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 10A / 2019   प्रार्थना पत्र / 251ए.   दिनांकः— 10.02.2025

अनवान

टमा कुंवर पत्नी हरिसिंह राजपूत नि. पायरों का खेडा तह. बडीसादडी

—प्रार्थीया

।। बनाम ।।

1— विष्णु कुंवर पत्नी निर्भयसिंह राठौड़ नि. बांसी तह. बडीसादडी
2— पुष्पा पुत्री बद्रीलाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
3— चन्दा पुत्री बद्रीलाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
4— उर्मिला पत्नी बद्रीलाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
5— बसन्तीलाल पिता छोगालाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
6— रमेशचन्द्र पिता छोगालाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
7— गणपतलाल पिता छोगालाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
8— शान्ता पिता छोगालाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
9— जशोदा पिता छोगालाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
10— सीताबाई पत्नी छोगालाल समदाणी माहेश्वरी नि. बांसी तह. बडीसादडी
11— भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपस्थित— श्री लक्ष्मणसिंह झाला वकील प्रार्थीया
श्री दिनेश कुमार वैष्णव वकील विपक्षी नम्बर 1 व 6

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251—ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा पायरों का खेड़ा पटवार हल्का बांसी तहसील बडीसादडी में स्थित होकर नकल जमाबन्दी सवत् 2073—2076 के अनुसार नया खाता संख्या 57 में दर्ज होकर आराजी नम्बर [illegible] कुल रकबा 1.38 हैक्ट. है। प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त [illegible]जीयात पर आने जाने का कोई रेकार्डेड रास्ता नहीं है। उक्त आराजी प[illegible] कदीमी रास्ता बांसी से लसाडिया जाने वाने मैन रोड से आराजी नं. 86 [illegible] होकर उक्त [illegible] दक्षिण पड़ौस में स्थित है तथा विपक्षीगण के खातेदारी की आरा[illegible] उक्त आराजी नं. 8[illegible] पाली पर उत्तर से दक्षिण रास्ता है जो कि करीब 20 फीट चौड़ा व 150 फीट लम्बा है में होकर प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

की आराजी नं. 85 तक जाता हैं । वर्तमान में भी उक्त रास्ता मौके पर स्थित है इसी रास्ते से होकर प्रार्थीया अर्सा कदीम से आने खातेदार एवं कब्जे काश्त की आराजीयात पर आ जा रही है तथा अपनी आराजीयात पर कृषि औजार, हल बैलगाड़ी, टेक्टर आदि ले जाती रही है तथा अपनी कृषि पैदावार आदि लाती ले जाती रही है उक्त आराजी पर आने जाने का और कोई रास्ता मौके पर स्थित नहीं है। विपक्षीगण ने जानबूझ कर प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने एवं प्रार्थीया को जलिल एवं परेशान करने के दुराशय से अपने खातेदार एवं कब्जे काश्त की आराजी नं. 86 में स्थित प्रार्थीया के आराजी में जाने वाले रास्ते को हकवा कर दिया तथा रास्ते को अवरूद्ध कर दिया । प्रार्थीया बांसी से लसाडिया जाने वाला मैन रास्ता जो कि विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नं. 86 से लगा हुआ है से लेकर प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी नं. 85 तक 20 फीट चौड़ा एवं 150 फीट लम्बा रास्ता जो कि आराजी नं. 86 की पश्चिम पाली पर स्थित होकर अर्सा कदीम से छोडा हुआ है उक्त रास्ते को अपनी आराजी तक छुड़वाना चाहती है जिसके लिये प्रार्थीया न्यायालय द्वारा जो भी डी.एल.सी. रेट तय की जावेगी जमा कराने को तैयार है इस लिये प्रार्थीया को उसकी आराजी नं. 85 मे आने जाने हेतु विपक्षीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नं. 86 में 20 फीट चौड़ा एवं 150 फीट लम्बा रास्ता पूर्ववत दिलाया जाकर रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्षा ट्रेश में अंकित कराया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र से तलब किया गया। विपक्षी नं. 1 व 6 की ओर श्री दिनेश कुमार वैष्णव अधिवक्ता ने पावर पेश किया। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। विपक्षी नं. 6 की की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। विपक्षी ने अपने जबाव में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थीया की आराजीयात पर जाने का रिकॉर्ड रास्ता नहीं होना जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थीया की आराजी पर जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता बांसी से लसाड़िया जाने वाले मेन रोड से आराजी नंबर 86 जो मेन रोड से लगी होकर उक्त रोड के दक्षिण पडोस में स्थित है तथा विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नंबर 86 की पश्चिम पाली उत्तर से दक्षिण रास्ता होना जो 20 फिट चौडा व 150 फिट लंबा होना अस्वीकार है। वर्तमान में उक्त रास्ता मोके पर होने का तथ्य मनगढंत होने से अस्वीकार है तथा उक्त रास्ता आराजी नंबर 85 तक जाने का तथ्य मनगढंत होने से अस्वीकार है। रामलाल पिता सवला के खातेदारी की आराजी नंबर 66 व 67 की आराजी में से होकर ही प्रार्थीया अपने आराजी नंबर 85 पर आती जाती है प्रार्थीया का उक्त कथन कि वह विपक्षीगण की आराजी नंबर 86 के पश्चिम पाली 'पर होकर अपनी आराजी नंबर 69, 70 व 85 पर जाती हो, उक्त कथन मनगढंत होने से अस्वीकार है। तथा विपक्षीगण द्वारा आराजी नंबर 86 में स्थित रास्ते को हंकवाना तथा उसे अवरूद्ध करने का तथ्य मनगढंत होने से अस्वीकार है क्योंकि [illegible] की आराजी नंबर 86 में कभी भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा है तथा प्रार्थीया ने आराजी [illegible] में से होकर 20 फिट चौडे रास्ते की मांग की है जबकि प्रार्थीया पास के [illegible] की आराजी नं 66, 67 में से होकर अपनी आराजी में आती जाती है जिसे प्रार्थना पत्र में पक्ष नहीं बनाया है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है। तथा प्रार्थीया के सुखाचार हेतु विपक्षियों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अस्थाई रूप से रास्ता देने का मौखिक रूप से पाबंद करने का तथ्य अंकित किया है जो स्वीकार नहीं सुखाधिकार से संबंधित किसी भी प्रार्थना पत्र के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है इसलिए प्रार्थना पत्र की उक्त कलम में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार बडीसादड़ी को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई ।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार बडीसादड़ी द्वारा न्यायालय हाजा में मौका कमीशनरी रिपोर्ट जो कि भू0अ0नि0 बांसी व पटवारी हल्का बांसी द्वारा दिनांक 23.06.2021 को मुर्तिब की गई को उचित कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या 529 दिनांक 23.06.2021 को अग्रेषित की गई । जिसमें वर्णित किया गया है कि पायरो का खेड़ा पटवार हल्का बांसी की खातेदारी आराजी नं. 85 रकबा 0.65 हैक्ट. प्रार्थीया टमा कुंवर पत्नी हरिसिंह राजपूत निवासी पायरों का खेड़ा के खातेदारी में स्थित है। उक्त आराजी बांसी से लसाडिया सड़क के किनारे आराजी 85 में दक्षिण में स्थित होकर लगी हुई है। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी आराजी नं. 85 से कृषि पैदावार लाने ले जाने हेतु मुख्य सड़क से आराजी नं. 86 की पश्चिमी मेड की ओर उत्तर से दक्षिण 72 गुणा 4 मीटर बराबर 288 वर्गमीटर रास्ता प्रस्तावित है। जो न्युनतम दुरी का है । उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान होकर चालु है। जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 90180 प्रति बिघा है।

अधिवक्ता प्रार्थीया एवं अधिवक्ता विपक्षी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिर्कोडेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है । अतः प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। इसके विपरीत विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी की बहस का पूरजारे विरोध किया गया तथा अपना जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया की आराजी नम्बर 85 रकबा 0.65 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 86 की पश्चिमी पाली में से होकर जाने के लिए वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीया आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहती है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20-9-2014 [illegible] कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14-1-2014 के अनुसार [illegible] आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या [illegible] है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के [illegible] समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 85 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 86 मे से 72 मीटर गुणा 4 मीटर बराबर 288 वर्ग मीटर पडती है जिसका तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है । उत्तरदाता की ओर से भी प्रकरण का खण्डन नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम पायरो का खेडा पटवार हल्का बांसी की खसरा संख्या 85 रकबा 0.65 हैक्टैयर भूमि पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पड़ोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 86 मे से 72 मीटर गुणा 4 मीटर बराबर 288 वर्ग मीटर पडती है। भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शे अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।
2. रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 288 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 90180/–रूपये प्रति बीघा से मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा। यदि वर्तमान में डी.एल. सी. दर में परिर्वतन हो गया है तो उसी अनुसार डी.एल.सी. दर वसूल की जावे।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीया का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीया को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे । निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर दिनांक 10.02.2025 को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.05.16 16:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बडीसादडी